


मध्य प्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
मंत्रालय,  
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 25/11/2021

क्रमांक एफ 1-182/2021/18-1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा श्री हरिओम कचौले, सहायक वर्ग-02, नगर परिषद, भौरासा जिला देवास को विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन द्वारा रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने के फलस्वरूप सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 23.02.2012 अनुसार उन्हें तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करते हुये नगर परिषद मूंदी जिला खण्डवा में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक रिक्त पद पर पदस्थ करता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार


  
(तरुण राठी)  
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
भोपाल, दिनांक 25/11/2021

पृ0 क्रमांक एफ 1-182/2021/18-1

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, मा. मंत्रीजी नगरीय विकास एवं आवास।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग।
3. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, ..... म0प्र0।
5. संबंधित संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास .....।
6. संबंधित कर्मचारी .....।
7. श्री नरेन्द्र भगत, वेब कांटेक्टर मैनेजर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास,
8. आर्डर बुक,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं आवास विभाग